विवाह में सम्मिलित होने वाले वर और वधू की संख्या के आधार पर विवाह को दो वर्ग में बाँटा जा सकता है। जैसे 1. एक विवाह (मोनोगेमी) और 2 बहुविवाह (पोलिगेमी)। बहुविवाह को पुनः तीन भागों में बॉटा जा सकता है 1. बहुपति विवाह (पोलिएंड्री), 2. बहुपत्नी विवाह (पोलिजीनी) तथा 3. समूह विवाह (ग्रुप मैरेज)

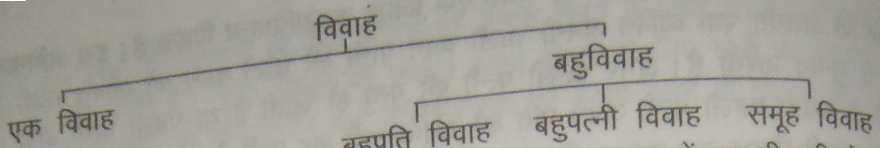

एक विवाह : इस प्रकार के विवाह में एक व्यक्ति एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है। कुछ लोग एक पत्नी की मृत्यु अथवा तलाक हो जाने पर भी दूसरी स्त्री से विवाह न करने को सही अर्थ में एक विवाह मानते हैं। जबकि कुछ विद्वान पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने अथवा उससे तलाक हो जाने की स्थिति में दूसरी स्त्री से विवाह कर लेने पर भी उसको एक विवाह ही मानते हैं। क्योंकि इस परिस्थिति में एक पुरूष एक समय में एक से अधिक स्त्री से विवाह नहीं करता है। वर्तमान सभ्य समाजों में एक विवाह का ही प्रचलन है।

इस प्रकार के विवाह में पति–पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध हमेशा एक समान बना रहता है। इस विवाह से उत्पन्न बच्चों की देख–रेख तथा लालन–पालन सही ढंग से होता है। संपति के विभाजन में कठिनाई नहीं होती। वृद्ध माता–पिता की देख–रेख भी ठीक से होती है।

बहुपति विवाह : इस प्रकार के विवाह में एक स्त्री का विवाह एक ही साथ एक से अधिक पुरूषों के साथ होता है। इसके दो रूप होते हैं। एक वह जिसमें एक महिला से विवाहित सभी पुरूष आपस में भाई होते हैं। इसे भ्रातृक बहुपति विवाह (फ्रेटर्नल अथवा एडेलिफक पोलिएंड्री) कहा जाता है।

भारत की खस, टोडा, तथा कोटा जनजातियों के बीच भ्रातृक बहुपति विवाह का प्रचलन है। मैक्लेनन ने इसे तिब्बती बहुपति विवाह के नाम से पुकारा है।

दूसरे प्रकार के बहुपति विवाह में एक महिला से विवाहित सभी पुरूष आपस में भाई नहीं होते। मैक्लेनन इसे नायर पोलिएंड्री नाम दिए हैं। इसे अभ्रातृक बहुपति विवाह (नन फ्रेटर्नल अथवा नन एडेल्फिक पोलिएंड्री) कहा जाता है। इसके उदाहरण मालावार के नायर हैं।

बहुपति प्रथा को हम मातृपक्ष तथा पितृपक्ष दोनों से जोड़ सकते हैं। टोडा, खस तथा कोटा में पितृपक्ष बहुपति प्रथा प्रचलित है। इसमें विवाह पश्चात स्त्री अपने पतियों के सामूहिक निवास पर रहती है। जब वह एकपति के पास रहती है, तब दूसरे पतियों का कोई अधिकार नहीं रहता है। मातृपक्ष बहुपति प्रथा में स्त्री अपनी माँ के साथ रहती है तथा पति बारी–बारी से उसके पास आते हैं। यह प्रथा मातृपक्षीय नायर लोगों में प्रचलित है।

बहुपति प्रथा के अस्तित्व में आने के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। मैक्लेनन के अनुसार इस विवाह का मुख्य कारण लिंग अनुपात में असंतुलन था। समाज में स्त्रियों की संख्या कम हो जाने के कारण ऐसी स्थिति आई होगी। मानव का आरंभिक जीवन बड़ा संघर्षमय था। मानव छोटे–छोटे समूह में भ्रमणकारी जीवन यापन करते थे। अपने अस्तित्व

के लिए वे पूर्णरूप से प्रकृति पर आश्रित थे। इस अस्तित्व के लिए संघर्षमय परिस्थिति में महिलाएं भारस्वरूप समझी जाती थी। अतः उन्हें जन्म लेते ही मार दिया जाता था। आज भी कई समकालीन समाज हैं जिनमें बालिकावध प्रथा प्रचलित है। बालिका वध प्रथा के कारण समाज में नारियों की संख्या कम हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए बहुपति प्रथा का विकास हुआ। आज भी न्यूगिनिया के मुंडुगुमर तथा मारक्वे सा द्वीपवासियों में बालिका वध प्रथा प्रचलित है।

कुछ विद्वानों ने इस प्रथा की उत्पत्ति के पीछे आर्थिक कारण ढुढ़ने का प्रयास किया है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उन्हें आज भी अपने अस्तित्व के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। अतःपरिवार चलाने के लिए सभी भाई मिल कर एक ही स्त्री से विवाह रचाते हैं तथा पारिवारिक जीवन–यापन करते हैं। अफ्रीकी समाज में वधू मूल्य के रूप में काफी धन देना पड़ता है। धन के अभाव में सभी पुरूषों के लिए अलग–अलग पत्नी पाना मुश्किल होता है। अतः सामूहिक रूप से धन संग्रह करके सभी भाईयों का विवाह एक ही स्त्री से कराया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यौन अनुपात में असंतुलन है। बहुपति प्रथा का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है जैसे द्रौपदी।

बहुपतित्व विवाह के अनेक दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। सभी पुरूषों को यौन व्यवहार का समान अवसर नहीं मिल पाता है। इससे ईर्ष्या एवं हीन भावना का विकास होता है। बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ बाझपन तथा कुछ गुप्त रोग के शिकार हो जाते हैं!